

# कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत भीलवाड़ा

## जर्जर भवनों की सूचना

प्रपत्र - 1-(अ) गैर आवसीय भवन

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
1	आसीन्द	न्यायिक भवन	सी.जे.एम. कोर्ट भवन	भवन साठनि० विभाग द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका है न्यायिक विभाग द्वारा उपयोग में लिया जाना है।
2	आसीन्द	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र बाजुन्द	भवन जर्जर है, गिराने योग्य है।
3	आसीन्द	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र कालियास	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है।
4	आसीन्द	राजस्व विभाग	भू-अभिलेख निरीक्षक भवन कालियास	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है।
5	आसीन्द	राजस्व विभाग	पटवार भवन दडावट	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है।
6	आसीन्द	राजस्व विभाग	पटवार भवन अन्टाली	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है।
7	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. कांवलास	उपयोगी, मरम्मत योग्य है।
8	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. कटार	उपयोगी, मरम्मत योग्य है।
9	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. धोली	उपयोगी, मरम्मत योग्य है।
10	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. जगपुरा	उपयोगी, मरम्मत योग्य है।
11	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. शम्भूगढ	उपयोगी, मरम्मत योग्य है।
12	आसीन्द	राजस्व विभाग	पुरानी कचहरी पटवार भवन करजालिया	पटवार घर जर्जर है। गिराने योग्य है काम में नहीं लिया जा सकता है।
13	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. तिलोली	भवन जर्जर है, गिराने योग्य है।
14	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. गांगलास	भवन जर्जर अवस्था में होने से रिक्त होकर गिराये जाने योग्य है।
15	आसीन्द	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. आमेसर	भवन जर्जर अवस्था में होने से रिक्त होकर गिराये जाने योग्य है।
16	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन नेगडिया	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
17	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन बदनोर	उपयोगी, मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
18	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन रतनपुरा भादसी	भवन जर्जर होने के कारण अनुपयोगी
19	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन रतनपुरा दांतडा	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
20	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन रतनपुरा परासोली	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
21	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन रतनपुर सग्रामगढ	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है
22	आसीन्द	पंचायतीराज विभाग	पंचायत भवन रतनपुर पाटन	उपयोगी, मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
23	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन भोजपुरा	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है
24	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन रामपुरा	अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है
25	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन वैनपुरा	मरम्मत के अभाव में भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं।
26	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन भादसी	मरम्मत के अभाव में भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं।

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
27	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन आकड़सादा	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
28	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन मोटरास	मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।
29	बदनोर	राजस्व विभाग	पटवार भवन खेडला	भवन अस्थानान्तरित
30	बदनोर	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. जैतगढ	अनुपयोगी, विभाग द्वारा काम में नहीं लिया जा रहा है। मरम्मत योग्य है।
31	बदनोर	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. चैनपुरा	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
32	बदनोर	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. सग्रामगढ	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
33	बदनोर	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. औद्धियाणा	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
34	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र कमालपुरा	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
35	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र मेघरास	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
36	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र बरण	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
37	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहपुरा	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
38	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र बालेसरिया	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
39	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र पायरा	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
40	बनेडा	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र बलदरखा	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
41	बनेडा	चिकित्सा विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेडा	स्थास्थ्य केन्द्र नये भवन में स्थानान्तरित हो गया है अतः भवन ग्राम पंचायत को सोप दिया जावे ताकि उनके द्वारा उसका उपयोग लिया जा सके
42	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. सरदार नगर	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
43	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. बबराना	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
44	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. बालेसरिया	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
45	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. कुण्डिया कला	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
46	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. लाम्बिया कला	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
47	बनेडा	कृषि विभाग	स. नि. कृ. वि. बैरा	आवश्यक मरम्मत पश्चात् भवन संबंधित विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
48	बनेडा	शिक्षा विभाग	सीनियर मा.वि. बल्दरखा	भवन जर्जर होने के कारण असुरक्षित है
49	बनेडा	शिक्षा विभाग	रा.मा.वि. कासोरिया	भवन जर्जर होने के कारण असुरक्षित है। जिसे गिराया गया।
50	बनेडा	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. बन्दरखा	भवन जर्जर होने के कारण गिराने योग्य है
51	बनेडा	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. मेघरास	भवन जर्जर होने के कारण गिराने योग्य है
52	बनेडा	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. रायला	भवन जर्जर होने के कारण गिराने योग्य है
53	बनेडा	पंचायतीराज विभाग	पुराना पंचायत भवन कुण्डिया कला	भवन जर्जर है गिराने योग्य

प्रारंभी	नहरील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
54	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र बनेडा	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
55	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र कुण्डला कला 2	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
56	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र कुण्डला कला 3	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
57	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र विजयपुर	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
58	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र उपरेडा प्रथम	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
59	बनेडा	महिला एवं बाल विकास	आंगनबाड़ी केन्द्र मुशी द्वितीय	भवन जर्जर अवस्था में असुरक्षित है
60	बनेडा	सा.नि.वि.	डाक बंगला बनेडा	मरम्मत योग्य मरम्मत के लिए रुपये 22.52 लाख की आवश्यकता। यह परिस्मयति आबादी क्षेत्र से दूर होने के कारण वीरान पड़ी हुई है एवं वर्तमान में अनुपयोगी है।
61	सहाड़ा	वन विभाग	वन चौकी, भरक	मरम्मत के बाद सामुदायिक विश्रान्ति घृ के कार्य में लिया जा सकता है।
62	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , उल्लई	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
63	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , पोटलां	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
64	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , सातलियास	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
65	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , खांखला	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
66	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , उम्मेदपुरा	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
67	सहाड़ा	कृषि विभाग	स. नि. कृषि , कोशिथल	मरम्मत के बाद आंगनबाड़ी के काम लिया जा सकता है।
68	सहाड़ा	पंचायत राज विभाग	बारानी चेतना केन्द्र, चावण्डिया	आवश्यक मरम्मत के बाद ई-मित्र केन्द्र के रूप में काम में लिया सकता है।
69	सहाड़ा	पंचायत राज विभाग	पुराना पंचायत भवन, नांदसा	आवश्यक मरम्मत के बाद ई-मित्र केन्द्र के रूप में काम में लिया सकता है।
70	सहाड़ा	बाल विकास विभाग	आंगनबाड़ी भवन, उल्लई	जर्जर होकर आवश्यक मरम्मत के पश्चात किसी अन्य राजकीय कार्य के उपयोग में लिया जा सकता है।
71	सहाड़ा	बाल विकास विभाग	आंगनबाड़ी भवन, डियास , ग्राम पंचायत सातलियास	बहुत ही जर्जर अवस्था में होकर आवश्यक मरम्मत के पश्चात पंचायत उक्त भवन की जगह का उपयोग कर सकती है।
72	सहाड़ा	चिकित्सा विभाग	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सहाड़ा दरवाजा गंगापुर	मरम्मत के बाद नवसृजित माईनिंग ऑफिस गंगापुर के काम आ सकता है। क्योंकि उनके पास कार्यालय नहीं हैं।
73	करेडा (मांडल)	चिकित्सा विभाग	प्रा. स्वा. केन्द्र , निम्बाहेडा जाटान	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है।
74	करेडा (नांडल)	चिकित्सा विभाग	-	उप केन्द्र भवन वितांवा
75	करेडा (मांडल)	वन विभाग	वन चौकी , बड्डु	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
76	करेडा (मांडल)	वन विभाग	वन चौकी , शिवपुर	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्भित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
77	करेडा (मांडल)	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , शिवपुर	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
78	करेडा (मांडल)	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन चितांबा	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
79	करेडा (मांडल)	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन थाणा	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
80	करेडा (मांडल)	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन दहीमथा	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
81	करेडा (मांडल)	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन उमरी	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
82	करेडा	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , निम्बाहेडा जाटान	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
83	करेडा	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , गौरख्या	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
84	करेडा	राजस्व विभाग	पटवार भवन, झानगढ	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
85	करेडा	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , आमलदा	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
86	करेडा	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , चितांबा	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
87	करेडा	वन विभाग	वन चौकी , गौरख्या	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है
88	मांडल	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , बागोर	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है
89	मांडल	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , केरिया	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है
90	मांडल	कृषि विभाग	स.नि. कृषि विभाग , गोडास	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है
91	मांडल	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन मांडल	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है
92	मांडल	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन जोरावरपुरा	मरम्मत के बाद सामुदायिक विश्रान्ती गृह के कार्य में लिया जा सकता है।
93	मांडल	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन लादुवास	मरम्मत के बाद सामुदायिक विश्रान्ती गृह के कार्य में लिया जा सकता है।
94	मांडल	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र काशीरामजी की खेडी	मरम्मत के बाद सामुदायिक विश्रान्ती गृह के कार्य में लिया जा सकता है।
95	मांडल	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र भालरिया	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है
96	रायपुर	पशुपालन विभाग	भेड उन विभाग रायपुर से हस्तान्तरित भवन	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
97	रायपुर	पशुपालन विभाग	पशु चिकित्सालय खाखरमाला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
98	रायपुर	वन विभाग	वन चौकी जीती	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
99	रायपुर	कृषि विभाग	स.नि. कृषि, नौखुन्दा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
100	रायपुर	कृषि विभाग	स.नि. कृषि, कोट	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
101	रायपुर	कृषि विभाग	स.नि. कृषि, पालरा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
102	रायपुर	कृषि विभाग	स.नि. कृषि, रायपुर	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
103	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन, वागड	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
104	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन, रायपुर	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
105	रायपुर	राजस्व विभाग	पुराना पटवार भवन नाथडियास	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
106	रायपुर	राजस्व विभाग	भू. अ. निरीक्षक भवन आशाहोली	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
107	रायपुर	राजस्व विभाग	पुराना पटवार भवन बोरियापुरा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
108	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
109	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन नारायण खेडा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
110	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन थला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
111	रायपुर	राजस्व विभाग	पटवार भवन बोराणा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
112	रायपुर	सर्व शिक्षा अभियान	रा.प्रा. वि. खारोल	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।
113	रायपुर	शिक्षा विभाग	कन्या पाठशाला , कोट	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है।

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
114	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पंचायत भवन गलवा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
115	रायपुर	पंचायती राज विभाग	राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास खाली सरकारी भवन	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
116	रायपुर	पंचायती राज विभाग	चेतना केन्द्र खेमाणा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
117	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन नाथडियास	जर्जर अवस्था में पट्टियां व दीवार टूटी हुई हैं ।
118	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन, बोरियापुरा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
119	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पंचायत भवन बागोलिया	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
120	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
121	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पुराना पंचायत भवन नारायण खेडा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
122	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पंचायत भवन, थला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
123	रायपुर	पंचायती राज विभाग	पंचायत भवन, मोखुन्दा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
124	रायपुर	शिक्षा विभाग	राजकीय मा.वि. भवन खेमाणा 2 कमरे	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है । भवन विद्यालय के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।
125	रायपुर	शिक्षा विभाग	प्राथमिक मा.वि. वागड	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
126	रायपुर	शिक्षा विभाग	राजकीय मा.वि. आशाहोली	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
127	रायपुर	शिक्षा विभाग	राजकीय उ.मा.वि. पुराना भवन खाननिया पालरा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
128	रायपुर	शिक्षा विभाग	सी.से. स्कूल चडोल 3 कमरे	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
129	रायपुर	शिक्षा विभाग	रा.मा.वि. बागोलिया	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
130	रायपुर	शिक्षा विभाग	प्रा.वि. कालबेलिया बस्ती नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
131	रायपुर	शिक्षा विभाग	प्रा.वि. परवती नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
132	रायपुर	शिक्षा विभाग	प्रा.वि. बाडिया खुर्द नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
133	रायपुर	शिक्षा विभाग	रा.बा.उ.प्रा.वि. बोराणा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
134	रायपुर	शिक्षा विभाग	रा.उ.मा.वि. कलाल खेडी	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
135	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र चारोट	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
136	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र मंडी	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
137	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र स्कूल के पास, नांदसा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
138	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र मौसमपुरा थला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
139	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र गाडरी खेडा, थला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
140	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र लड़की पीथा का खेडा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
141	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र नरसिंह द्वार के पास बोरणा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
142	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र प्रथम मोखुन्दा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
143	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र द्वितीय मोखुन्दा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
144	रायपुर	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी केन्द्र मान का खेडा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
145	रायपुर	चिकित्सा विभाग	उप स्वास्थ्य केन्द्र वागड	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
146	रायपुर	चिकित्सा विभाग	पुराना चिकित्सा भवन रायपुर	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
147	रायपुर	चिकित्सा विभाग	आयुर्वेदिक चिकित्सा नांदसा जागीर	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
148	रायपुर	चिकित्सा विभाग	उपस्वास्थ्य केन्द्र थला	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
149	रायपुर	सहकारिता	जीएसस गोदाम भवन रायपुर	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
150	रायपुर	सहकारिता	जीएसस गोदाम भवन बोराणा	मरम्मत कार्य करवा कर उपयोग में लिया जा सकता है ।
151	भीलवाड़ा	वन विभाग	खाद्यान्न रेज कार्यालय	अत्यंत क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत योग्य नहीं हैं ।
152	भीलवाड़ा	वन विभाग	वन चौकी अजमेर रोड	अत्यंत क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत योग्य नहीं हैं ।
153	भीलवाड़ा	श्रम विभाग	उप श्रम आयुक्त , श्रम विभाग, भीलवाड़ा	कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे गिराया जाना उचित होगा एवं कुछ भाग रिपेयर किया जाकर उपयोग में लिया जा सकता है ।
154	भीलवाड़ा	तकनीकी शिक्षा	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भीलवाड़ा	कमरा नं. 1 से 10 तक पूर्ण रूप से असुरक्षित है एवं कम्प्यूटर लेब के निर्माण हेतु भूमि दलदलयुक्त है । अतः उपरोक्त सभी कमरे असुरक्षित होने के कारण उपयोग में लेने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है ।
155	भीलवाड़ा	शिक्षा विभाग	राउमावि पुलिस लाईन भीलवाड़ा	भवन उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं है । गिराया जाना उचित होगा ।
156	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन – काछोला	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है ।
157	कोटडी	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन – पारोली	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
158	माण्डलगढ	शिक्षा विभाग	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाडपुरा (4 कमरे)	मरम्मत हेतु राशि 4.50 लाख की आवश्यकता है ।
159	हमीरगढ	शिक्षा विभाग	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ (12 कमरे)	मरम्मत हेतु राशि 5.50 लाख की आवश्यकता है ।
160	माण्डलगढ	चिकित्सा विभाग	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन रलायता	मरम्मत हेतु राशि 2.00 लाख की आवश्यकता है ।
161	माण्डलगढ	चिकित्सा विभाग	महीला स्वास्थ्य दर्शका क्वार्टर लाडपुरा	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है ।
162	माण्डलगढ	चिकित्सा विभाग	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन रानीखेडा	मरम्मत हेतु राशि 2.00 लाख की आवश्यकता है ।
163	माण्डलगढ	चिकित्सा विभाग	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्वार्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरुन्दनी	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है ।
164	माण्डलगढ	चिकित्सा विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंगोली	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है ।
165	बिजौलिया	चिकित्सा विभाग	चिकित्सा अधिकारी क्वार्टर बिजौलिया	मरम्मत हेतु राशि 1.50 लाख की आवश्यकता है ।
166	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन सिंगोली	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
167	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन हमीरगढ	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
168	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन मंगरोप	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
169	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन कोटडी	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
170	माण्डलगढ	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सालय भवन दातडा	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है ।
171	माण्डलगढ	सा.नि.वि.	गैगहट सहा.अभि.कार्यालय बिजौलिया	मरम्मत हेतु राशि 6.50 लाख की आवश्यकता है ।
172	माण्डलगढ	न्यायिक	मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय कोटडी	मरम्मत हेतु राशि 5.50 लाख की आवश्यकता है ।
173	माण्डलगढ	न्यायिक	मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय माण्डलगढ	मरम्मत हेतु राशि 2.00 लाख की आवश्यकता है ।
174	शाहपुरा	राजस्व	कस्बा पटवारधर शाहपुरा	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त नवीन भवन निर्माण हेतु राशि 5.00 लाख की आवश्यकता है ।

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
175	शाहपुरा	पुलिस विभाग	पुलिस चौकी कनेष्ठनकलां	भवन अधूरा होने के कारण अनुपयोगी है एवं जेल चार दिवारी एवं बैरक बनाने हेतु राशि 15.00 लाख की आवश्यकता है।
176	शाहपुरा	उच्च शिक्षा	श्री प्र.सि.बा. राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है एवं नवीन भवन निर्माण हेतु 20.00 लाख की आवश्यकता होगी।
177	शाहपुरा	सा.नि.वि.	गेंगहट फूलियाकलां	रिपेयर योग्य नहीं हैं। अनुपयोगी
178	जहाजपुर	माध्यमिक शिक्षा	राजकीय उ.मा.वि. (बालक) जहाजपुर	उपयोग तो हो रहा है लेकिन मरम्मत की आवश्यकता है
179	जहाजपुर	माध्यमिक शिक्षा	राजकीय उ.मा.वि. ;बालिकाद्व जहाजपुर	उपयोग तो हो रहा है लेकिन मरम्मत की आवश्यकता है
180	जहाजपुर	प्रारम्भिक शिक्षा	रा.उ.प्रा.वि. माणक चौक जहाजपुर	उपयोग तो हो रहा है लेकिन मरम्मत की आवश्यकता है
181	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. पण्डेर	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
182	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. बावडी	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
183	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. टीठोडी	जर्जर अवस्था के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सकता
184	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. धुवालॉ	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
185	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. ईटुन्दा	जर्जर अवस्था के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सकता
186	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. शक्करगढ	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
187	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. धोड	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
188	जहाजपुर	कृषि विभाग	स.नि.कृ.वि. खजुरी	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
189	जहाजपुर	वन विभाग	वन चौकी घाटारानी	जर्जर अवस्था के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सकता
190	जहाजपुर	वन विभाग	वन चौकी उलेला	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
191	जहाजपुर	वन विभाग	वन चौकी लुहारीकलॉ	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
192	जहाजपुर	वन विभाग	वन चौकी लुहारीखुद	जर्जर अवस्था के कारण उपयोग में नहीं लिया जा सकता
193	जहाजपुर	वन विभाग	रेंज कार्यालय पुराना	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
194	जहाजपुर	चिकित्सा विभाग	सामुदायिक स्वा. केन्द्र पण्डेर	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
195	जहाजपुर	चिकित्सा विभाग	उपकेन्द्र भवन टिठोडी	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
196	जहाजपुर	चिकित्सा विभाग	उपकेन्द्र भवन बांकरा	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है
197	जहाजपुर	सा.नि.वि.	गेंगहट बनास तट, जामोली चौराहा	रिपेयर योग्य नहीं हैं। अनुपयोगी
198	जहाजपुर	सा.नि.वि.	गेंगहट शक्करगढ	रिपेयर योग्य नहीं हैं। अनुपयोगी

अधीक्षण अभियंता  
सा.नि.वि. वृत भीलवाड़ा

# कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भीलवाड़ा

## जर्जर भवनों की सूचना

### प्रपत्र – 2-(ब) आवसीय भवन

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्भित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
1	आसीन्द	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार आवास नं. 2	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
2	आसीन्द	चिकित्सा विभाग	सामु. स्वा. केन्द्र आसीन्द आवासगृह नं. 2 व 3	उपयोगी, मरम्मत योग्य है
3	आसीन्द	जल संसाधन	गेग हट बठेडा गांव आर.एम.सी.खारी	भवन जर्जर है, गिराने योग्य है।
4	आसीन्द	जल संसाधन	गेग हट मालमपुरा गांव आर.एम.सी.खारी	मरम्मत योग्य है।
5	आसीन्द	जल संसाधन	गेग हट चित्तोडिया गांव आर.एम.सी.खारी	मरम्मत योग्य है।
6	आसीन्द	जन स्वा. अभि. विभाग	जे-2-टाईप 1/2 सेट आवास लाछुडा	भवन जर्जर होने के कारण अनुपयोगी
7	आसीन्द	जन स्वा. अभि. विभाग	जे-2-टाईप 1/2 सेट आवास कालियास	भवन जर्जर है, गिराने योग्य है।
8	बदनोर	जन स्वा. अभि. विभाग	जे-2-टाईप 1/2 सेट आवास आकडसादा	भवन जर्जर होने के कारण अनुपयोगी
9	बदनोर	जन स्वा. अभि. विभाग	जे-2-टाईप 1/2 सेट आवास बरसनी बस स्टेप्प	भवन जर्जर होने के कारण अनुपयोगी
10	बनेडा	राजस्व विभाग	उपखंड अधिकारी बनेडा आवासगृह	बाउन्ड्री दीवार का निर्माण कराने के पश्चात् उपखंड अधिकारी द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है
11	बनेडा	चिकित्सा विभाग	प्रा. स. केन्द्र रायला चिकित्सक आवासगृह – 2 स्टाफ आवासगृह – 5 स्वीपर आवासगृह – 1	आवश्यक मरम्मत पश्चात् विभाग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है।
12	सहाडा	चिकित्सा विभाग	चिकित्सक आवास गृह गंगापुर – 1	आवश्यक मरम्मत के पश्चात् ए.एम.ई. या अन्य अधिकारी जिनके पास राजकीय आवास नहीं हैं उनको अलोट किया जा सकता है।
13	सहाडा	चिकित्सा विभाग	प्रा.स्वा. केन्द्र आमली, चिकित्सक आवास गृह – 1	आवश्यक मरम्मत के पश्चात् पटवारी आवास के लिये कार्य में लिया जा सकता है।
14	सहाडा	जल संसाधन विभाग	चौकीदार हट, आटावाडा बांध	आवश्यक मरम्मत के पश्चात् सामुदायिक विश्रान्ती गृह के काम में लिया जा सकता है।
15	करेडा मांडल	चिकित्सा विभाग	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, करेडा चिकित्सक आवास गृह संख्या 1	मरम्मत योग्य नहीं होने से भवन असुरक्षित है।
16	मांडल	चिकित्सा विभाग	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, बागोर चिकित्सक आवासगृह – 1 ए.एन.एम. आवासगृह – 1 चतुर्थ श्रेणी आवासगृह – 1 स्वीपर आवासगृह – 1	मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है। मरम्मत करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।
17	कोटडी	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास मंगरोप	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है
18	हमीरगढ	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास तखतपुरा	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है
19	भीलवाडा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास बरडोद	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है
20	भीलवाडा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास सियार	मरम्मत हेतु राशि 1.90 लाख की आवश्यकता है
21	भीलवाडा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास कान्दा	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है
22	कोटडी	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास कोदूकोटा	मरम्मत हेतु राशि 3.80 लाख की आवश्यकता है
23	भीलवाडा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास बडामहुआ	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है

क्र.सं.	तहसील का नाम	संबंधित विभाग का नाम	अनुपयोगी/निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है	भवन जिस उपयोग में लिया जा सकता है का विवरण
1	2	3	4	5
24	भीलवाड़ा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास गुरला	मरम्मत हेतु राशि 2.50 लाख की आवश्यकता है
25	भीलवाड़ा	कृषि विभाग	कृषि पर्यवक्षक आवास स्वरूपगांज	मरम्मत हेतु राशि 3.50 लाख की आवश्यकता है
26	माण्डलगढ़	सा.नि.वि.	गैगहट लाडपुरा	मरम्मत हेतु राशि 2.00 लाख की आवश्यकता है
27	माण्डलगढ़	जी.ए.डी	मुसिंफ मजिस्ट्रेट भवन माण्डलगढ़	मरम्मत हेतु राशि 2.00 लाख की आवश्यकता है।
28	शाहपुरा	पुलिस विभाग	कस्बा चौकी शाहपुरा आवासगृह	भवन पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हैं नये भवन हेतु राशि 5.00 लाख की आवश्यकता होगी।
29	शाहपुरा	उच्च शिक्षा	बालक छात्रावास श्री प्र.सि.बा.राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा	छात्रावास भवन की मरम्मत के पश्चात ही उपयोग में लिया जा सकता है। भवन की मरम्मत हेतु राशि 20.00 लाख की आवश्यकता है।
30	शाहपुरा	राजस्व	कस्बा पटवारी आवास घर शाहपुरा	भवन मरम्मत करने के पश्चात उपयोग योग्य हैं। मरम्मत हेतु राशि 3.00 लाख की आवश्यकता होगी।
31	शाहपुरा	सा.नि.वि.	सहायक अभियन्ता क्वाटर	भवन मरम्मत हेतु राशि 10.00 लाख की आवश्यकता होगी।
32	जहाजपुर	चिकित्सा विभाग	सामु. स्वा. केन्द्र जहाजपुर चिकित्सक आवास गृह-1 एवं नर्सिंग आवासगृह-1	मरम्मत के बाद उपयोग में लिया जा सकता है

अधीक्षण अभियन्ता  
सा.नि.वि. वृत भीलवाड़ा